

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)


क्रमांक प. 7(185)ग्रावि/अनु.8/2014

जयपुर, दिनांक 15.11.2016

संशोधित बैठक सूचना


निर्देशानुसार निवेदन है कि सिविल सोसायटी ग्रुप एवं सिटीजन आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ सामाजिक सरोकार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हेतु श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2016 को सांय 4.00 बजे समिति कक्ष, प्रथम तल, उत्तर-पश्चिमी भवन (एस.एस.ओ. बिल्डिंग) में होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर अब दिनांक 21.12.2016 को सांय 4.30 बजे समिति कक्ष, प्रथम तल, उत्तर-पश्चिमी भवन (एस. एस.ओ. बिल्डिंग) में आयोजित की जा रही है। निम्न अधिकारीगणों को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रतिनिधि।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रतिनिधि।
5. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग या उनके प्रतिनिधि।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या उनके प्रतिनिधि।
7. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग या उनके प्रतिनिधि।
8. शासन सचिव, श्रम विभाग।
9. शासन सचिव, माध्यमिक एवं स्कूल शिक्षा विभाग
10. शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
11. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
12. शासन सचिव, खान विभाग।
13. शासन सचिव, विधि विभाग।
14. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
15. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
16. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
17. श्री निखिल डे, मजदूर किसान शक्ति संगठन एवं अन्य प्रतिनिधि सिविल सोसायटी।


(सी. एल. वर्मा) 15.11.16
परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एच मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग।
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 9 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
- 10 निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग।
- 11 निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं स्कूल शिक्षा विभाग।
- 12 निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
- 13 निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 14 निजी सचिव, शासन सचिव, खान विभाग।
- 15 निजी सचिव, शासन सचिव, विधि विभाग।
- 16 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 17 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 18 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 19 श्रीमान निखिल डे से निवेदन है कि सिविल सोसायटी ग्रुप एवं सिटीजन आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने का श्रम करें।
- 20 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रा.वि० को समिति कक्ष आरक्षित करने एवं अन्य व्यवस्था हेतु।
- 21 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदे. एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) 15/11/16